

CITY FACT AND FACILITIES BY GOVERNMENT

Mohammad Asif मो. नं. +91-9413609001

Anand Nagar, Sumerpur Dist-Pali (Raj.) PIN-306902

PUBLIC WEB SERVICE**CONTECT DIRECTORY****NEWS & FACT****BENEFIT OF GOVT.****महात्मा गाँधी नरेगा योजना -**

1.	संक्षिप्त विवरण	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना केन्द्र सरकार द्वारा संचालित है। जिसे कानून की मान्यता दी गई है। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को जो अकुशल कार्य करने के इच्छुक हो प्रति वित्तीय वर्ष उसी के ग्रामीण क्षेत्र में (5 किमी. के दायरे में) रोजगार की मांग करने पर 100 दिवस का गारंटीसुदा रोजगार प्रदान कर स्थायी परिसम्पतियों का निर्माण किया जाता है।
2.	आवेदन कहाँ किया जायें	सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र-6 में आवेदन किया जाता है।
3.	पात्रता	परिवार का वयस्क सदस्य
4.	आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज	जॉब कार्ड बनाने हेतु परिवार का राशनकार्ड की प्रति एवं दो फोटो निर्धारित प्रपत्र-1 के साथ (सूचना भरकर) संलग्न करें। जॉब कार्ड बनने के बाद एक निर्धारित आई.डी. नं. दिये जाते हैं जिसके आधार पर प्रपत्र-6 में आवेदन कर रोजगार की मांग की जाती है।
5.	देय लाभ/सुविधाएँ	<ul style="list-style-type: none"> मस्टररोल के आधार पर 5-5 के समूह में श्रमिकों का चयन कार्य के लिए किया जाता है। श्रमिकों को कार्यस्थल पर छाया/पानी/मेडिकल/मेट किट बैग एवं टास्क बोर्ड की सुविधा दी जाती है। योजना के तहत श्रमिकों का कार्य समय (स्थानीय भौतिक परिस्थिति अनुसार) एक कार्य दिवस में 9 घंटे का होता है जिसमें एक घंटे का विराम भी सम्मिलित है। प्रति 20-40 श्रमिकों पर 1 मेट का चयन किया जाता है जो कि उन सभी श्रमिकों द्वारा किये गये कार्य का प्रथम माप चौक एवं मूल्यांकन का कार्य अधिकतम टास्क प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है।
6.	भुगतान प्रक्रिया	पखवाडा समाप्ति (15 कार्य दिवस) के 15 दिवस के भीतर किये गए कार्य के आधार पर किया जाता है। भुगतान ईएफएमएस पद्धति द्वारा सीधे ही श्रमिकों के बैंक खातों में किया जाता है।